एक नजर में

ग्राम का समग्र विकास करने के लिए प्रस्फुटन समितियों ने लिया क्षमतावर्धन प्रशिक्षण

बिछुआ। बिछुआ आदिवासी विकासखंड में म.प्र. जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा जिला समन्वयक अखिलेश कुमार जैन के निर्देशानुसार एवं ब्लाक समन्वयक की उपस्थिति में नवांकुर संस्था मानव जल कल्याण सेवा समिति के नेतृत्व में ब्लाक बिछुआ सेक्टर 01 अंतर्गत ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों का एक दिवसीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण में सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजन अर्चन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसमें बिछुआ सेक्टर के सभी ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के पदाधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित हुए। प्रशिक्षण म प्र जन अभियान परिषद भोपाल के आदेशानुसार संचालन किया गया समिति सचिव मनोज जैन द्वारा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद का परिचय संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों का कार्य एवं अपेक्षाएं पर विशेष वक्तव्य दिया। ब्लॉक समन्वय के द्वारा परिषद कि परिकल्पना,स्वैच्छिक, सामुदायिकता एवं स्वावलंबन पर विषय रखा। समिति दस्तावेजी करण पर विषय रखा। कार्यक्रम मे इंटर्नशिप आशीष ग़ोदेवार द्वारा कार्यक्रम मे उपस्थित समिती के सभी सदस्य नवांकुर सखी, बी एस डब्लू ,एमएसडब्ल्यू के छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के अंत मे सभी समिती के सदस्यो को प्रमाणपत्र वितरित कर स्वल्पाहार और भोजन प्रसाद वितरण किया गया । उपरोक्त कार्यक्रम मानव जल कल्याण सेवा समिति बिछुआ के कार्यालय में संपन्न हुआ।

अमरवाड़ा विधायक ने दिलाई शाला भवनों के निर्माण कार्यो की स्वीकृति

अमरवाड़ा। अमरवाड़ा क्षेत्र के विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के नवीन भवनों के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन के शालेय शिक्षा एवं परिवहन मंत्री, राव उदय प्रताप सिंह से 236.82 लाख की राशि स्वीकृत कराई है। तदाशय् की जानकारी देते हुये विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा ने बताया कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के नवीन भवन निर्माण कार्य करायें जाने की स्वीकृति क्षेत्रिय विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह के अथक प्रयासों से मिली है। जिनमें प्राथमिक शाला निकाही 10.61 लाख, प्राथमिक शाला सगोनिया 18.25 लाख, प्राथमिक शाला कोसमटोला 10.61 लाख, प्राथमिक शाला चारगॉवकला 10.61 लाख, प्राथमिक शाला डोरली 18.25 लाख, प्राथमिक शाला चारगॉव 18.25 लाख, प्राथमिक शाला बिछुआ (भुमका) 10.61 लाख, प्राथमिक शाला झापट 18.25 लाख, प्राथमिक शाला ईमझिर्री 10.61 लाख, माध्यमिक शाला बांका 18.25 लाख, प्राथमिक शाला बेलखेंड़ी 10.61 लाख, प्राथमिक शाला खिरकाटोला 10.61 लाख, प्राथमिक शाला भोडरापानी 10.61 लाख, प्राथमिक शाला निर्भयपुर 10.61 लाख, प्राथमिक शाला भरदीकोल 10.61 लाख, प्राथमिक शाला सालीवाड़ा सानी 10.61 लाख, प्राथमिक शाला सारियापानी 18.25 लाख तथा प्राथमिक शाला कोपाखेंड़ा के नवीन भवन निर्माण हेतु 10.61 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों,मंडल अध्यक्ष,भाजपा के वरिष्ट नेताओं एवं पदाधिकारियों ने शाला भवनों के निर्माण की मंजूरी दिलाने पर क्षेत्रिय विधायक कमलेश प्रताप का आभार व्यक्त किया है।

एक करोड़ इक्कीस लाख से बनेगा संत सुफलभक्त सामुदायिक भवन

अमरवाड़ा। नगर के वार्ड क्रमांक 02, 03, 04, 05 मे सामुदायिक भवन नही होने की समस्या को समाप्त करने नगरपालिका अमरवाडा द्वारा एक करोड़ इक्कीस लाख लागत से संत सुफलभक्त महाराज सामुदायिक भवन* निर्माण की निविदा जारी की गयी है। जानकारी देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, लोक निर्माण सभापति कल्पना साहू ने बताया नई आबादी क्षेत्र मे सामुदायिक भवन बनाने की मांग वर्षो से की जा रही है। यहाँ के निवासियों को शादी विवाह सहित सार्वजनिक कार्यक्रमो हेतु भवन नही होने से अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सामुदायिक भवन निर्माण से नई आबादी सहित नगरवासियो को कम शुल्क मे बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। नगर के विभिन्न वार्ड मे 05 सड़क निर्माण कार्य हेतु 48 लाख रुपये की निविदा जारी की गयी है। उक्त सड़क निर्माण कार्य मे 13 लाख रुपये सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा सांसद निधि से प्रदान किये जाने पर नगर पालिका परिषद अमरवाडा द्वारा सांसद के प्रति आभार प्रकट किया है।

समस्या

गैस एजेंसी पहुंचे अधिकारी, समस्या को लेकर की चर्चा

बुकिंग एप से नहीं हो रही गैस सिलेंडर की बुकिंग, उपभोक्ता परेशान

नवभारत न्यूज

परासिया, 13 मार्च, गैस सिलेंडर बुकिंग एप से बुकिंग नहीं होने और एजेंसी संचालकों के फोन बंद रहने के कारण उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परासिया सुमित चौधरी तहसीलदार तथा थाना प्रभारी ईश्वरी पटले गैस एजेंसी पहुंचे और डीलर से समस्या को लेकर चर्चा की।

गैस एजेंसी के मैनेजर ने अधिकारियों को बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा गैस सिलेंडर बुकिंग से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। पहले गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिनों का अंतराल निर्धारित था, जिसे अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से फैली अफवाहों के कारण अचानक बड़ी संख्या में उपभोक्ता सिलेंडर बुकिंग करने लगे, जिससे एप पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। इसी वजह से सर्वर में तकनीकी समस्या आ रही है और बुकिंग प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अधिकारियों ने एजेंसी प्रबंधन को उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने और समस्या के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए, ताकि लोगों को गैस सिलेंडर प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित

अनुविभागीय अधिकारी के सभाकक्ष परासिया में अनुविभागीय अधिकारी परासिया शुभम् कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परासिया सुमित चौधरी थाना प्रभारी परासिया ईश्वरी पटले तथा परासिया अंतर्गत समस्त गैस एजेंसियों के संचालक कमल मदान, धर्मेंद्र डोंगरा और प्रबंधक विक्की उपस्थित रहे। बैठक के दौरान रसोई गैस की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने गैस सिलेंडर की समय पर उपलब्धता, उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं तथा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही गैस एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया गया कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और गैस सिलेंडर का वितरण पारदर्शिता एवं नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए।

मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में सभी शिक्षक संगठन हुए एकजुट

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा, 13 मार्च, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर संपूर्ण जिले सहित छिंदवाड़ा में भी (टीईटी) शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष सतीश गोंडाने,जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा, एवं जिला सचिव अरविंद भट्ट ने जिले के समस्त प्रभावित शिक्षक, गुरुजी, संविदा शिक्षक,अध्यापक,प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षक,अनुकंपा से नियुक्त शिक्षक के लिए जिले में कार्यरत समस्त शैक्षिक संगठन मध्य प्रदेश शिक्षक संघ,राज्य शिक्षक संघ,प्रांतीय शिक्षक संघ, आजाद अध्यापक संघ,आजाद अध्यापक परिषद,अध्यापक संघर्ष समिति सहित समस्त संगठनों की ओर से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी राजपत्र तथा समय प्रभावी नियमों के आधार पर विधिवत रूप से की गई है अतः उन शिक्षकों के लिए बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य कर देना तथा 2 वर्ष के भीतर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में सेवा समाप्ति जैसा कठोर प्रावधान लागू करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है ज्ञापन में यह भी बताया गया कि शिक्षक वर्षो से निष्ठा एवं समर्पण के साथ विद्यार्थियों को शिक्षित करने हेतु शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अधिकांश शिक्षक ऐसे भी हैं जिनकी उम्र लगभग 55 से 57 वर्ष और सेवाएं 28 से 30 वर्ष हो चुकी है उनके अनुभव और वरिष्ठता को दरकिनार कर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बाध्य किया जाना अमानवीय एवं असंवैधानिक है दीर्घकालीन रूप से शिक्षकों की सेवा को केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर समाप्त करने का प्रावधान शिक्षकों के भविष्य को असुरक्षित करता है बल्कि इससे उनके परिवारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। शिक्षक डर एवं भय की मनोदशा में वर्तमान में परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्यो का दायित्व निर्वहन कर रहा है यहां यह भी विचारणीय है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 21 अक्टूबर 1997 के अनुसार हुई है उनके लिए बाद में नवीन शर्तो को लागू करना न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता समस्त शिक्षक संगठनों ने मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन किया है।

योजना कार्यालय के सामने अतिक्रमण हटाया

सीएम हेल्पलाइन शिकायत का निराकरण

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा, 13 मार्च, नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के आदेशानुसार नगर निगम अमले द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान योजना कार्यालय के सामने गन्ने एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।

कार्यवाही के दौरान लगभग 10 गुमठियों एवं हाथ ठेलों को हटाकर मार्ग को खाली कराया गया और दोबारा अतिक्रमण न करने की समझाइश दी गई।इसके अतिरिक्त शिव नगर कॉलोनी से संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायत का भी निराकरण किया गया। संबंधित समस्या का समाधान कर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ प्रकरण को बंद कराया गया। नगर निगम द्वारा शहर में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक रविवार को

छिंदवाड़ा। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन म.प्र.जिला शाखा छिन्दवाड़ा के अध्यक्ष मीर जाहिद अली ने बताया दिन रविवार को समय 12:30 बजे से एसोसिएशन की बैठक के साथ ही प्रातः 10 बजे से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जनसेवा केन्द्र शिव नगर कॉलोनी छिन्दवाड़ा में नागपुर के रेडिएंस हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज पुरोहित एवं डॉ. लतीफ रहमान के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है जिसमें स्त्री ,पुरूष एवं बच्चों के समस्त रोगों का परीक्षण कर उचित परामर्श दिया जायेगा ,अतः सभी पेंशनरों एवं आम नागरिकों से अनुरोध है कि परिवार सहित उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठायें ।

भारतीय मजदूर संघ ने किया महिलाओं का सम्मान

नवभारत न्यूज

परासिया, 13 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ पेंच कन्हान द्वारा कोयला उद्योग सहित अन्य सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। विश्वकर्मा भवन में आयोजित कार्यक्रम का प्रारम्भ भगवान विश्वकर्मा जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर श्रमिक गीत के साथ किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का शाल एवं पुष्प गमले से सम्मान किया गया । डॉक्टर विनिता लाल, चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, श्रीमति साक्षी चिचेरकर प्रबंधक मानव संसाधन द्वारा कम्पनी में हमारे कर्तव्य,श्रीमति नेहा चित्ते द्वारा कर्मचारी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा व कम्पनी स्तरीय जानकारी, श्रीमति रश्मि रानी तंतुवाय ने राष्ट्र के नवनिर्माण में शक्ति के योगदान, श्रीमति कंचन सिंह राजपूत थाना प्रभारी शिवपुरी द्वारा मौलिक अधिकार, श्रीमति अक्षया बोन्डे, एच. आर. मैंनेजर एसेंचर लिमिटेड द्वारा सहज योग मेडिटेशन विषय पर जानकारी प्रदान की गई । कार्यक्रम में उपस्थित 250 महिला प्रतिनिधियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कुंवर सिंह, मोहित नामदेव, निखिलेश राहा, अच्छेलाल गुप्ता, किसनलाल यादव, संजय बावरिया, रामदास सोलंकी, श्रीमति ममता सोनारे, सुनील पाण्डे, चौखेदास वैष्णव भुवनेश्वर यदुवंशी, महिला प्रतिनिधि सुश्री अनीता मालवीय, तापी चौरासे, मेघा गर्ग, मनोज राय, इनायत अली, रविश मिश्रा एवं पेंच, कन्हान के पदाधिकारी, शाखाध्यक्ष, सचिव उपस्थित हुये । कार्यक्रम की अध्यक्षता ममता सोनारे द्वारा एवं मंचसंचालन श्रीमति अंजली सिंह, महिला प्रतिनिधि, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ द्वारा किया गया ।

पांडुपिपरिया में जारी है अवैध रेत खनन

नवभारत न्यूज

तामिय, 13 मार्च, नहीं थम रहा रेत का अवैध खनन, दिन के उजाले में निकल रहे रेत से भरे वाहन पांडू पिपरिया बनी रेत की मंडी दिनदहाड़े तेज रफ्तार के चलते मोटरसाइकिल चालक की सूझबूझ से बचाई अपनी जान रेत से भरी ट्राली पलटी दर्जनों लोगों ने अपनी जान बचाई रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली पलटी सूत्रों के मुताबिक तामिया की ट्राली बताई जा रही है।

जो न्यूटन परासिया के लिए जा रही थी तेज रफ्तार से अचानक वाहन को बचाने से तेज गति से ब्रेक लगाया जिसके चलते रा्ग साइट ट्राली पलट गई 15 मिनट के अंदर पांडू पिपरिया रेत माफिया के द्वारा और जगह से दूर किया ट्रैक्टर ट्राली को सूत्रों के मताबिक जगह पर ड्राइवर एवं मलिक की ग्रामीणों के द्वारा की गई मारपीट तेज रफ्तार को लेकरके उजाले मे ओवरलोड रेत से भरे टैक्टर आसानी से देखा जा सकता है खनिज को दिन के उजाले में चुनौती दे रहे रेत माफिया रेत से भरे दर्जनों रेत ले जाते ओवरलोड ट्रैक्टर प्रशासन का खुला संरक्षण मिला है वेखौफ दिन के उजाले में ओवरलोड रेत के ट्रैक्टर निकालते हैं, प्रशासन को चुनौती देते हुए रेत के ओवरलोड लगभग दर्जनों वाहन रेत से भरे दिन के उजाले में निकल रहे हैं कुआं बादला टोल से लेकर न्यूटन तक लगे सीसीटीवी कैमरो में इस चुनौती को देखकर समझ सकते हैं कि तामिया से रेत ले जाने वालो के हौसले कितने बुलंद है जो लगातार रेत की चोरी करते चले आ रहे हैं। दिन के उजाले में निकले ओवरलोड ट्रैक्टर को प्रशासन एवं खनिज निरीक्षक इस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं। दिनदहाड़े शासन प्रशासन को मोटी रकम देकर दे रहे हैं चुनौती दिनदहाड़े ले जा रहे हैं रेत शासन प्रशासन की सहमति से।

सरोठ जलाशय में अवैध मोटर पंपों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 12 मोटर जप्त

नवभारत न्यूज

मोहखेड़, 13 मार्च, मोहखेड़ ब्लॉक स्थित सरोठ जलाशय में अवैध रूप से लगाए गए मोटर पंपों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 मोटर पंप जप्त किए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम द्वारा की गई।

दरअसल, सरोठ जलाशय से संचालित मोहखेड़ समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से जल निगम द्वारा करीब 30 गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। हाल के दिनों में जलाशय में सैकड़ों अवैध मोटर पंप लगाकर सिंचाई किए जाने से जलस्तर लगातार कम होने लगा था। इससे आगामी ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न होने की आशंका बढ़ गई थी। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जल निगम के महाप्रबंधक अविनाश दिवाकर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर अवैध मोटर पंप हटाने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। वहीं समय-सीमा बैठक में जल निगम के उपमहाप्रबंधक बसंत कुमार बेलवंशी ने भी कलेक्टर हरेंद्र नारायण को इस समस्या से अवगत कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने एसडीएम राजस्व, जल निगम, एमपीईबी, पुलिस और जल संसाधन विभाग की

विवाद

प्रशासन के लिए चुनौती होंगे परासिया के दो वार्डों के पक्के निर्माण हटाना

जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवादों में आया परासिया का भाजपा कार्यालय

1993 से चल रहा था न्यायालय में विवाद, नापजोख करने मौके पर पहुंची राजस्व टीम

नवभारत न्यूज

परासिया, 13 मार्च, लगभग 35 साल पुराने एक भूमि विवाद में न्यायालय के आदेश के बाद अब कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। न्यायालय के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को परासिया की राजस्व टीम ने वार्ड क्रमांक 15 और 16 में स्थित खसरा क्रमांक 333 और 360 की नापजोख की।प्रारंभिक माप के दौरान राजस्व टीम को यह पता चला कि खसरा क्रमांक 333 की भूमि पर स्थित भाजपा कार्यालय सहित हाल ही में निर्मित एक आलीशान कॉम्प्लेक्स भी अवैध निर्माण की जद में आ रहा है। वहीं खसरा क्रमांक 360 में सैकड़ों की संख्या में पक्के निर्माण पाए गए हैं, जिनकी विस्तृत नापजोख शनिवार को किए जाने की संभावना है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र बैंक के समीप स्थित इस जमीन के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से न्यायालय में विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि वर्ष 1993 में जबलपुर न्यायालय से इस मामले में फैसला हो चुका है, लेकिन भूमि स्वामी को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया स्थानीय न्यायालय में लंबित थी। अब न्यायालय के आदेश के बाद राजस्व विभाग द्वारा जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए नापजोख की जा रही है।

स्थानीय लोगों ने जताया विरोध

जमीन की मापजोख करने पहुंचे पटवारी और राजस्व अधिकारियों को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। बड़ी संख्या में एकत्र हुए लोगों का कहना था कि वे पिछले कई वर्षों से इस जमीन पर काबिज हैं और लगभग 50 साल बाद अब जमीन को किसी अन्य का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित निर्णय लेने की मांग की है। वहीं प्रशासन के सामने अब बड़ी चुनौती यह है कि यदि न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई होती है, तो वार्ड क्रमांक 15 और 16 में बने कई पक्के निर्माणों को हटाना पड़ सकता है।

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री रामकृष्ण इवानाती श्रीमती माला इवानाती श्रीमती सीमा इवानाती (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10660185)	पटवारी हल्का संख्या 33, खसरा संख्या 184, ग्राम पारसोदी, तहसील पांढुर्ना, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, 480334, भारत में स्थित संपत्ति का पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 900.00, 754.00, 600.00	रु. 498383/- (रु. चार लाख अन्ठानवे हजार तीन सौ तिरासी मात्र)	27-10-2025	11/03/2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 249, द इनफिनिटी, प्रथम तल, एम.पी. नगर, जोन-2, तुलसी होटल के पास, भोपाल-462011 या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- छिन्दवाड़ा
दिनांक : 14-3-2026

प्रा. अधिकारी
कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड